न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 76/2023(GCMS : 2023/101)

1. लीलूराम पुत्र पीरदान जति मेघवाल निवासी रंगमहल, ग्राम पंचायत रंगमहल तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

--- प्रार्थी

बनाम

1. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल, पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वर्तमान राजकीय विद्यालय जरिये प्रधानाचार्य, रंग महल, पंचायत समिति, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर
3. अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

--- अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.07.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बंसल उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वाना अधिवक्ता ने कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में उनके द्वारा एक निगरानी अनवानी लीलूराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल आदि प्रस्तुत कर रखी है प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में बार-बार शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी प्रार्थी की सुनवाई नहीं की जा रही है। अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा दिनांक 16.05.2023 को राहत कैम्प लगाया गया था। कैम्प के दौरान प्रशासन सूरतगढ व राजनैतिक लोगों की मिलीभगत के कारण प्रार्थी का उक्त प्रकरण में दर्ज भूखण्ड, जिस पर उसका 56 वर्षों से कब्जा चला आ रहा था, को जेसीबी चलाकर मलबा बना दिया ।

उसका आगे यह भी कथन है कि [illegible] सेवकों द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थी व उसके परिवार को घर से बेघर कर दिया तथा जेसीबी से प्रार्थी के पालतु व दुधारू पशुओं को भी चोटिल किया गया है। लोक सेवक द्वारा [illegible] पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी को न्याय से वंचित किया जा रहा है, इसलिए उसे अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने अपना प्रकरण अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष ट्रांसफर करने की प्रार्थना के साथ यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ एवं अप्रार्थी संख्या 03 से प्राप्त टिप्पणी मे उल्लेख किया है कि प्रकरण संख्या 91/2022 अनवान् लीलूराम बनाम सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम उनके न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में निगरानीकर्त्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत, रंगमहल द्वारा प्राथमिक विद्यालय, रंगमहल के नाम से जारी किये गये पट्टे दिनांक 20.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण गैरनिगरानीकर्त्ता के जवाब हेतु जैरकार है। प्रकरण में नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर, उभयपक्ष को सुना जाकर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। शेष तथ्य निराधार होने से अस्वीकार है।

मैनें पत्रावली तथा अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 91/2022 अनवानी लीलूराम बनाम सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया है। **अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।** इस न्यायालय को धारा 97 पंचायती राज अधिनियम **के प्रकरण के गुण दोष पर वि**चार नहीं करना है, इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी लीलूराम द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण, उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:38 IST
Reason: SelfAttested